आपदा प्रबंधन विभाग

झारखण्ड सरकार

आनुग्रहिक राहत के संबंध में दिशा-निदेश

आनुग्रहिक राहत हेतु सुयोग्य व्यक्तियों का चयन –

1. समाहर्त्ता सभी गाँवों का सर्वेक्षण ग्राम स्तरीय पदाधिकारी या किसी लब्ध प्रतिष्ठ एवं पूर्णतः विश्वसनीय गैर सरकारी संस्था द्वारा करायेंगे और आनुग्रहिक सहायता हेतु योग्य व्यक्तियों की पहचान कर उसकी सूची तैयार करवायेंगे ।

2. ग्राम स्तरीय पदाधिकारी/गैर सरकारी संस्था ऐसे व्यक्तियों की पहचान गाँवों का भ्रमण कर तथा ग्राम सभा की बैठक बुलाकर कर सकते हैं ।

3. सुखाड़ संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए आहूत ग्राम सभा की बैठक में आनुग्रहिक सहायता पाने योग्य व्यक्तियों की सूची पर विचार तथा अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है ।

4 आनुग्रहिक सहायता पाने योग्य व्यक्तियों की सूची का संधारण नियमित रूप से किया जायेगा तथा उसे निरीक्षण हेतु तैयार रखा जायेगा ।

5. क्षेत्रीय पदाधिकारी यथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी आनुग्रहिक राहत पाने योग्य व्यक्तियों की सूची संकलित कर समाहर्त्ता को भेजेंगे । जिलास्तरीय पदाधिकारी इस सूची का Test Check करेंगे । सूची में समाविष्ट लोग ही आनुग्रहिक राहत के लाभुक होंगे ।

सरकार की नियमित व राहत संबंधी विभिन्न योजनाओं यथा प्रति पंचायत 1 क्विंटल अनाज के भंडारण की योजना, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना, बी०पी०एल० ए०पी०एल० लाभुकों को खाद्यान्न योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन/सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना आदि से यदि किसी व्यक्ति या परिवार को कोई भी आर्थिक लाभ या अन्य लाभ की प्राप्ति न हो पायी हो और वह व्यक्ति शारीरिक दृष्टिकोण से जीविकापार्जन के लिए रोजगार या अन्य किसी श्रम करने के लिए शक्य न हो, तभी उक्त व्यक्ति आनुग्रहिक राहत की राशि की प्राप्ति के लिए सक्षम होगा । बी०पी०एल० वर्ग के परिवार जिन्हें भारत सरकार द्वारा लाभधारकों की संख्या के सीमिति कर दिये जाने के कारण सरकार के प्रावधान के अनुरूप लाभ से वंचित रहना पड़ा हो और सुखाड़ की परिस्थिति जीविका का कोई वैकल्पिक आधार उपलब्ध न होने के कारण सम्पोषण की विकट स्थिति जूझ रहे हो, लाभ पाने के लिए सक्षम हैं । उपलब्ध रोजगार के द्वारा जीविकोपार्जन करने शारीरिक दृष्टिकोण से सक्षम व्यक्ति को इस राहत का लाभ नहीं मिल सकेगा । शारीरिक से अशक्य वृद्ध, विकलांग व निराश्रय बच्चे ही लाभ प्राप्ति के हकदार होंगे क्योंकि शारी अक्षमता के कारण स्वयं के लिए ये रोजगार प्राप्त कर सकने में असमर्थ होंगे ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक--32--31/2005--NDM-I दिनांक--27.06.2007 द्वारा आपदा राहत कोष से सहायता हेतु परिचारित मद एवं मानदण्ड की सूची के कंडिका–1(d) और कंडिका–1(f) में आनुग्रहिक राहत के संबंध में निम्नांकित दिशा निदेश दिया गया है :-

(अ) कंडिका 1(d) – आपदा की स्थिति में वृद्ध, अशक्त तथा निराश्रित बच्चों को 20/– रुपये प्रति वयस्क एवं 15/-- रूपये प्रति बच्चा, प्रतिदिन की दर से राहत उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ब) कंडिका 1(f) -- आपदा की स्थिति में तत्काल भरण पोषण की सहायता योग्य परिवारों को 20/– रूपये प्रति वयस्क तथा 15/-- रूपये प्रति बच्चा, प्रतिदिन की दर से आनुग्रहिक राहत उपलब्ध कराया जायेगा । आनुग्रहिक राहत उन्हीं व्यक्तियों को दिया जायेगा जो आपदा के कारण दारूण स्थिति व सम्पोषण की अत्यावश्यक अनिवार्यता से जूझ रहे हैं या जिनकी खाद्य सामग्रियाँ आपदा में विनिष्ट हो गयी है और जिन्हें तत्काल जीविकोपार्जन की कोई व्यवस्था नहीं है ।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Manual for Drought Management के Gratuitous Assistance अध्याय में आनुग्रहिक राहत हेतु निम्नांकित पात्रता निर्धारित की गयी है ।

(अ) सभी वृद्ध, अशक्त और निराश्रित व्यक्ति, जो 60 वर्ष या उससे ऊपर के हैं और वृद्धावस्था पेंशन योजना या अन्य योजना तथा उत्तर सेवानिवृति लाभ द्वारा आच्छादित नहीं है, आनुग्रहिक राहत पाने के हकदार होंगे ।

(ब) वे व्यक्ति, जो शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण जीविकोपार्जन का कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें भी आनुग्रहिक राहत देने पर विचार किया जा सकता है भले ही वह 60 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुँचे हो ।

(स) गर्भवती महिलायें और युवा बच्चे, जिनके संबंधी उनका पोषण नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं, आनुग्रहिक राहत पाने के हकदार होंगे ।

आनुग्रहिक राहत के अधीन लाभान्वित परिवारों को 400/-- रूपये प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से सहायता दी जायेगी ।

आनुग्रहिक राहत हेतु पात्रता निर्धारण के लिए Manual for Drought Management व गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक--32--31/2005--NDM-I दिनांक--27.06.2007 में दिये गये दिशा निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय ।

सचिव,
आपदा प्रबंधन विभाग